राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

पत्रांकः 6(25) राज.–6/2014पार्ट/96

जयपुर, दिनांक 03.11.2020

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम, 1963 के नियम 1 के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश कमांक प.5(109)राजस्व–ब/60 दिनांक 20.07.1963 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोडकर) का आवंटन राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक उक्त आदेश व संबंधित नियमों के अध्यधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31.03.2021 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
03.11.20
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 03-11-20 में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

03.11.20
शासन उप सचिव